Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 22/November/2023 IJRAW: 2023; 2(12):119-120 Accepted: 28/December/2023

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा: एक विवेचन

*[1]डॉ. निधि यादव और *[2]परिधि यादव

*[1]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, स. पृ. चौ. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

*[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों को उजागर करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक मानवाधिकारों की आवश्यकता के साथ–साथ उन्हें प्रत्येक मानव विशेष के हित को ध्यान में रखते हुए सम्मान सहित अधिकारों का निर्माण, वर्गीकरण एवं सफलतापूर्वक परिचालन आदि महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना है।

साथ ही इस अध्ययन में मानव अधिकारों की नींव रखने से लेकर उनके उपादान में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका पर विचार किया गया है। मानवाधिकार बिना किसी भेदभाव के समाज, कानून, संविधान, नैतिक एवं वैधानिक हित आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति विशेष के विकास को सुनिश्चित करता है।

इस अध्ययन के अंतर्गत मानव अधिकारों के वर्गीकरण, विशेषताओं, संविधान आदि की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्दः मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, संविधान, नैतिक एवं वैधानिक हित आदि

प्रस्तावना

मानव अधिकार विश्व का सर्वाधिक ज्वलन्त विषय है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति निहित है। मानव के रूप में जन्म से ही मनुष्य मानवाधिकारों का हकदार हो जाता है। 24 अक्टूबर, 1945 को मानव अधिकारों की संरक्षक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के रूप मे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नवीन विचार का सुत्रपात हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में संगठित आतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह स्वीकार किया कि देशकाल की सीमाओं से उठकर व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार है, जो उसे मानव प्राणी होने के कारण उपलब्ध है। इन्हीं अधिकारों को मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य मानव अधिकारों के सम्मान व व्यावहारिक पालन को बढ़ावा देना है। संघ के चार्टर की प्रस्तावना में लिखा है, ''हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग मौलिक मानव अधिकारों, मानव गरिमा, महिलाओं व पुरूषों तथा छोटे व बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों मे विश्वास व्यक्त करते हैं। चार्टर की धारा 55 व 56 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने प्रजाति, लिंग, भाषा तथा धर्म में भेदभाव के बिना किसी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को व्यवहार में लाने तथा उसके लिए सार्वभौमिक सम्मान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। आयोग के प्रयासों से 10 दिसम्बर 1948 को महासभा ने ''मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा'' को स्वीकृति प्रदान की। यह घोषणा मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड प्रस्तुत करती है। जिसमें 30 धाराएं है, धारा 1 से 21 तक नागरिक व राजनीतिक अधिकार है। घोषणा में सम्मलित मानवाधिकारों की रक्षा तथा उनका परिचालन सुनिश्चित करने हेतु आयोग की सिफारिश पर महासभा ने 1966 में दो संविदाओं को स्वीकृति प्रदान की। ''यह संविदाएं सदस्य राष्ट्रों की सहमति में बाद 1976 में प्रभावी हो गयी।'' घोषणा व संविदा में प्रमुख अन्तर यह है कि संविदा में हस्ताक्षर करने के बाद सदस्य राष्ट्रों द्वारा इनको लागू करना अतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से बाध्यकारी हो जाता है।

*Corresponding Author: डॉ. निधि यादव

मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य जनवरी 1947 में श्रीमती एलेनोर डी. रुज्वेल्ट की अध्यक्षता में प्रारम्भ किया। आयोग का प्रथम अधिवेशन फरवरी 1947 में, द्वितीय अधिवेशन दिसम्बर, 1947 में हुआ जिसके अन्तर्गत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार किया गया।

सार्वजनिक घोषणा में विश्व के समस्त मानव को मानव मात्र होने के कारण बिना किसी जाति, धर्म, वर्ण, प्रजाति, स्थान, लिंग के भेद के यह अधिकार प्रदान किए गये ताकि मानव गरिमा व सम्मान के साथ बिना भेदभाव व भय के जीवन यापन कर सके। सार्वजनिक घोषणा में मानव को निम्न अधिकारों के बारे में कहा गया है कि–

विश्व के सभी मानव व्यक्तियों की अन्तर्निहित स्वतंत्रता तथा गरिमा एवं अधिकारों के समान के प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या सम्पति तथा अन्य प्रस्थिति में भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप से इन अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी है।

मानवाधिकारों की उपादेयता

अधिकार मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है वरन् उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है, जिनके बिना साधरणतः कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।

अधिकार व्यक्ति की मांगे है तथा उसका वह हक है जिसे समाज, राज्य तथा कानून नैतिक मान्यता देते है तथा उसकी रक्षा करते है। अधिकार मानव के अस्तित्व के लिए तथा सामाजिक जीवन के लिए परमावश्यक है। अधिकार संबंधी किसी भी विचारधारा में तीन बातें पायी जाती है–

1. अधिकार और कर्तव्य आपस में नजदीक से जुड़े हुए है।
2. प्रत्येक अधिकार को समाज द्वारा मान्यता दिये जाने की आवश्यकता होती है अर्थात् अधिकार शून्य में नहीं होते।
3. अधिकार निःस्वार्थ अभिलाषा है इसे सार्वजनिक रूप से लागू किया जा सकता है।

अधिकारों का वर्गीकरणः मनुष्य एक जटिल प्राणी है इसलिए उसका व्यक्तित्व भी जटिल है उसमें विकास के विभिन्न आयाम है तद्नरूप उसके अधिकार भी अनेकानेक है।

साधारण वर्गीकरणः इस दृष्टि से समस्त अधिकारों को सामान्यतः दो प्रकारो में वर्गीकृत किया जाता है–

नैतिक अधिकारः इनका स्त्रोत, मूल्य या आदर्श है और इनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है।

वैधानिक अधिकारः इनका स्रोत समाज एवं राज्य है इन अधिकारों का उल्लंघन कानून द्वारा दण्डनीय होता है।

इन अधिकारों को पुनः निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है

नागरिक अधिकारः जो राज्य द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किये जाते है।

राजनीतिक अधिकारः जो शासन में भाग लेने के उउद्देश्य से प्राप्त होते है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और भारतीय संविधान

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जब 10 दिसम्बर, 1948 को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की घोषणा हुई उस समय स्वतन्त्र भारत का संविधान निर्माणाधीन था। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ थे और अपने देश के नागरिकों के लिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील थे। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप मे शामिल किया गया और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपलिका को सौंप कर इन्हें गारन्टीकृत भी किया गया तथा कतिपय कम महत्वपूर्ण अधिकारों को नीति–निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के मानव अधिकारों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत मे लोग' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि भारत की सम्प्रभुता, भारत की जनता में निहित है अर्थात् शासन की सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता के हाथ में है।

प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, गरिमा, बन्धुता आदि मानव अधिकारों को प्राप्त करने व निरन्तर बढ़ाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सुची

1. डॉ. पुखराज जैन–भारतीय शासन एवं राजनीति, पृष्ठ संख्या–26
2. डॉ. एस. के. मयूर–मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि–सेन्ट्रल लॉ, पृष्ठ संख्या–635
3. अशोक कुमार–प्रारंभिक समाज एवं राजनीतिक दर्शन, पृष्ठ संख्या–210
4. उपर्युक्त पृष्ठ संख्या–205
5. समाज दर्शन का परिचय, शिव भान सिंह, पृष्ठ संख्या–291
6. आर.पी. जोशी–मानवाधिकार और कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर 2009